



कार्यालय - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक(खनन)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

निकट-: आदित्य बैंकट हॉल , गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा , हल्द्वानी (नैनीताल) - दूरभाष: 05946-263509

पत्रांक-

/ निविदा/श्रमिक कल्याण

दिनांक-

Pollution Mask, Helmet, Cotton Hand Gloves, Shoes (Steel Toe), Water Bottle की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित निविदा की शर्तें एवं कार्य विवरण

इस कार्यालय की पत्र संख्या-862/निविदा/श्रमिक कल्याण , दिनांक-30-08-2018 द्वारा वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत इच्छुक मूल निर्माताओं / अधिकृत विक्रेताओं एवं विक्रेताओं से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (कु0क्षे0) हल्द्वानी के अन्तर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , खनन हल्द्वानी/ लालकुआ / नन्दौर एवं शारदा खनन प्रभागों के अन्तर्गत उपखनिज चुगान कार्यों में लगने वाले श्रमिकों हेतु निम्न सामग्री कय की जानी हैं , जिसके लिए निर्धारित निविदा फार्म में दिनांक-22-09-2018 के अपराह्न 2.30 बजे तक सील बन्द निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट /कोरियर द्वारा आमन्त्रित की गई है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे इच्छुक उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक(कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम , हल्द्वानी द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्तें दिनांक-20-09-2018 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क रु0-200.00 + जी0एस0टी0 नकद जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा शर्तें उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट www.uafdc.in में स्वप्रकट है। निविदा प्राप्ति एवं खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यदिवस में निविदायें निर्धारित समयानुसार प्राप्त एवं खोली जायेंगी।

सामग्री का विवरण , निविदा शर्तें निम्नवत् है :-

(क) आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का विवरण एवं लगभग प्रस्तावित मात्रा

| क्र०सं० | सामग्री का नाम | विवरण | अनुमानित आपूर्ति मात्रा | अर्नेस्टमनी (रु०) |
|---------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1. | Pollution Mask | ISI Mark | 10000 (नग) | 20000 |
| 2. | Helmet | IS-2925 Heavy Duty CM/L No | 8000 (नग) | 50000 |
| 3. | Cotton hand gloves | Khaki Color | 9000 (जोड़ा) | 30000 |
| 4. | Shoes (Steel Toe) | Steel toe shoes (Different Size) PVC/PU Sole | 10000 (जोड़ा) | 50000 |
| 5. | Water Bottle (Insulated) | 2 Ltr. (Cool) Milton,Nayasa,Pamline | 10000 (नग) | 50000 |

नोट:- उपरोक्त दर्शायी गयी मात्रा में कमी/वृद्धि सम्भावित है , जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं है।

(ख) निविदा प्रेषण हेतु पता :- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक(खनन)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

निकट-आदित्य बैंकट हॉल , गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा , हल्द्वानी

जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(ग) अर्नेस्ट मनी :- निविदा के साथ समस्त सामग्री की दरें देने पर नेक अर्नेस्टमनी हेतु उपरोक्तानुसार कुल रु0- 2,00,000.00 (दो लाख) मात्र की एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , खनन प्रभाग हल्द्वानी के पदनाम बंधक हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है।


(घ) निविदा हेतु सामान्य शर्तें :-

- निविदा सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी ।
- निविदा फार्म संलग्न है।
- निविदा लिफाफे के ऊपर **Pollution Mask, Helmet, Cotton Hand Gloves, Shoes (Steel Toe), Water Bottle** की आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट मोटे अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है। निविदा फार्म एवं शर्तें रु0-200.00 + जी0एस0टी0 जमा कर दिनांक-20-09-2018 तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा , पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा उपरोक्त पते पर इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित समय तक प्राप्त होनी आवश्यक है। दस्ती निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में किसी विलम्बता के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई दावा स्वीकार होगा।

6. निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्रों , आयकर पंजीकरण प्रमाण (PAN) पत्र , जी०एस०टी० प्रमाण पत्र आदि जो कि स्वप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। जी०एस०टी० प्रमाण पत्र के आभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदादाता को शासकीय /अशासकीय /संस्थान/संस्था या विभाग में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्य में वरीयता दी जायेगी।
8. निविदा के साथ अर्नेस्टमनी हेतु वांछित धनराशि की एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , खनन प्रभाग हल्दानी के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दी जायेगी।
9. आमन्त्रित विभाग द्वारा प्रदत्त किये गये निविदा प्रारूप (फार्म) में ही निविदा स्वीकार की जायेंगी।
10. निविदा स्पष्ट/साफ अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है। अस्पष्ट-ओवराईटिंग मान्य नहीं है। कर का उल्लेख न होने पर निविदा कर सहित मानी जायेगी। निविदा, निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। हस्ताक्षरकर्ता हेतु कम्पनी/फर्म का अधिकार पत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।
11. समान्यतया गुणवत्ता अनुकूल होने पर निविदा न्यूनतम निविदा मूल्य/कर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। किन्तु उल्लिखित गुणवत्ता के अभाव में न्यूनतम दरों को निविदा में समिलित नहीं किया जायेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार वन निगम के पास सुरक्षित होगा। दरें सम्पूर्ण खनन सत्र 2018-19 के लिये लागू मानी जायेगी। उक्त अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
12. निविदा प्रक्रिया आंशिक या पूर्ण निरस्त /स्थगित होने पर कोई क्लोम स्वीकार नहीं होगा।
13. उपरोक्त सामग्री विवरणानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना आवश्यक है तथा निविदा के साथ सामग्री का सैम्पल नमूना भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना नमूने के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा खोलने के पश्चात समिति द्वारा प्राप्त दरों एवं नमूने की जाँच की जायेगी। उपर्युक्त उचित भानक गुणवत्ता नमूने के आधार पर समिति द्वारा प्राप्त दरों की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जायेगी। दरें समान होने पर निविदा के साथ गुणवत्ता मानकों का प्रमाण पत्र संलग्न करने वाले निविदादाता की दरों को प्राथमिकता दी जायेगी।
14. सफल निविदादाता को कार्य का 5 प्रतिशत जमानत जमा करनी होगी। अर्नेस्टमनी को जमानत के रूप में समायोजित कराया जा सकता है। सफल निविदादाता को कार्य हेतु अनुबन्ध भी करना होगा।
15. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर फंजीकृत डाक/हाथों हाथ आपूर्ति आदेश की सूचना यथासमय आवश्यकतानुसार दी जायेगी।
16. सफल निविदादाता को गेट पर सामग्री आपूर्ति करने से पूर्व सामग्री का समिति से निरीक्षण कराना होगा जो कि निविदा सैम्पल के अनुरूप हो।
17. कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर सामग्री आपूर्ति करनी होंगी। विलम्ब से या निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति न करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जमानत जब्त कर आपूर्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा, जिसमें सफल निविदादाता की कोई आपत्ति / प्रत्यावेदन स्वीकार/मान्य नहीं होगा।
18. उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर सम्बन्धित गेटों में पहुँचाकर (FOR) देनी होगी, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता को सामग्री का भुगतान सम्बन्धित प्रभाग के द्वारा दिया जायेगा।
19. भुगतान में नियमानुसार देय आयकर एवं अन्य करों की कटौती सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिल से की जायेगी।
20. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Judicial) नैनीताल जनपद में होगा।
21. शर्तों के उल्लंघन की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामले को आर्टिस्ट्रेटर के समक्ष भेजा जाएगा जो कि प्रबन्ध निदेशक , उत्तराखण्ड वन विकास निगम , देहरादून द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

संलग्न- यथोपरि।

दिनांक- 30/8/2018.


प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक(खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम , हल्दानी